उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या :08–विनियम एवं काविनी / पाकालि / 2014–01–विनियम / 14 दिनांक : 16 जनवरी, 2014

अधिसूचना
विविध

''आर्टिकिल ऑफ एसोसियेशन'' में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 27–12–2013 को आहूत अपनी 103 वीं बैठक में कारपोरेशन मुख्यालय के अधिकारियों की सेवाओं सम्बन्धी निम्न विनियमावली को प्रख्यापित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया :–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय अधिकारी सेवा विनियमावली–2013

भाग–एक–सामान्य

1. यह विनियमावली उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय अधिकारी सेवा विनियमावली–2013 कही जायगी।
2. यह निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
3. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें सचिवालय संवर्ग के अनुभाग अधिकारी, अनु सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव एवं अपर सचिव के पद समाविष्ट है।
4. जब विषय एवं सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस विनियमावली मे :–
   क) ''निदेशक मण्डल'' का तात्पर्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल से है।
   ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य, समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदों के सम्बन्ध में अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, से है।
   ग) ''मुख्यालय'' का तात्पर्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय से है।
   घ) ''निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)'' का तात्पर्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) से है।
   ङ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है।

भाग–दो–संवर्ग

1. सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी निदेशक मण्डल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायगी।
2. जब तक उपरोक्त उपनियम–1 के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जॉए, प्रत्येक श्रेणी के पद एवं उनकी संख्या निम्नवत होगी :–

(1)	अनुभाग अधिकारी	–	29
(2)	अनु सचिव	–	12
(3)	उप सचिव	–	04
(4)	संयुक्त सचिव	–	02
(5)	अपर सचिव	–	01

क्रमशः.................1 / –

3. नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या आस्थगित रख सकता है।

4. निदेशक मण्डल अतिरिक्त पदों का सृजन भी कर सकते है यदि वह उचित समझें।

भाग–तीन–भर्ती

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी :–

1.	अनुभाग अधिकारी	–	मुख्यालय पर तैनात ऐसे स्थायी कार्मिकों में से, जिन्होने समीक्षा अधिकारी के पद पर कम से कम 09 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।
2.	अनु सचिव	–	उपरोक्त ऐसे अनुभाग अधिकारी जो भाग–छः में निहित प्रतिबन्धों के अधीन स्थायी घोषित हो चुके हो एवं जिन्होनें समीक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी के पद पर कम से कम 14 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।
3.	उप सचिव	–	उपरोक्त अनु सचिव के पद से, पदोन्नति द्वारा।
4.	संयुक्त सचिव	–	उपरोक्त उप सचिव के पद से, पदोन्नति द्वारा।
5.	अपर सचिव	–	उपरोक्त संयुक्त सचिव के पद से, पदोन्नति द्वारा।

भाग–चार–चयन की प्रकिया

1. अनुभाग अधिकारी, अनु सचिव एवं उप सचिव के पदों पर चयन का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। चयन समिति निम्नवत् गठित की जाएगी :–

1)	निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0)	–	अध्यक्ष
2)	पिछड़े वर्ग का अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	–	सदस्य
3)	अनुसूचित जाति वर्ग का अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	–	सदस्य

क्रमशः...............3/–

2. संयुक्त सचिव एवं अपर सचिव के पदों पर चयन का मापदण्ड श्रेष्ठता एवं योग्यता होगा। पात्रता हेतु वही प्रकिया अपनायी जाएगी जो अभियन्त्रण संवर्ग में समकक्ष पदों के लिए निर्धारित है। चयन हेतु चयन समिति निम्नवत् गठित की जाएगी :—

1)	अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0	—	अध्यक्ष
2)	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0	—	सदस्य
3)	निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0	—	सदस्य
4)	प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन द्वारा नामित संयुक्त सचिव/अपर सचिव स्तर का अधिकारी	—	सदस्य
5)	पिछड़े वर्ग का अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	—	सदस्य
6)	अनुसूचित जाति वर्ग का अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	—	सदस्य

3. ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में, एक पात्रता सूची तैयार की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम यथासम्भव निम्नलिखित अनुपात में रखे जाएगें :—

01 से 05 रिक्तियों के लिए	:	रिक्तियों की संख्या के दुगने किन्तु कम से कम 05
05 से अधिक रिक्तियों के लिए		रिक्तियों की संख्या के डेढ़ गुने किन्तु कम से कम 10

परन्तु यदि भर्ती के एक वर्ष से अधिक वर्षो के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिए चयन किया जाना है तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक—पृथक पात्रता सूची तैयार की जाएगी।

4. अभ्यर्थियों की पात्रता सूची को उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाए, चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा तथा इसके साथ ही रिक्तियों की संख्या भी सूचित की जाएगी।

5. चयन समिति निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी तथा चयनित किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता कम में एक सूची तैयार करेगी जिसके आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रिक्त पदों के विरूद्व नियुक्तियॉ की जाएगीं।

भाग—पॉच—परिवीक्षा

1. अनुभाग अधिकारी के पद पर उसकी मौलिक/स्थानान्पन रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति उपरान्त 01 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

कमशः.................4/—

2. नियुक्त प्राधिकारी कारणों का उल्लेख करते हुए अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है किन्तु बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि किसी भी परिस्थिति में 06 मास से अधिक नहीं होगी।

3. परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या अवधि के अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यदि यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोषजनक सेवा में विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

4. उपरोक्त उपनियम–3 के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जाएगा वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

भाग–छः –स्थायीकरण

1. अनुभाग अधिकारी के प्रारम्भिक पद पर स्थायीकरण आवश्यक होगा। परिवीक्षाधीन अनुभाग अधिकारी को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति के पद पर स्थायी कर दिया जाएगा, यदि :–

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाए।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो, तथा

(ग) नियुक्त प्राधिकारी को यह समाधान हो जाए कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

भाग–सात–ज्येष्ठता

1. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता, मुख्यालय संवर्ग के पोषक पद अर्थात प्रथम नियुक्ति के पद की वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

भाग–आठ–वेतन

1. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के मौलिक अथवा स्थानान्पन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान/ग्रेड वेतन वही होगा जैसा कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा अवधारित है तथा भविष्य में समय–समय पर अवधारित किया जाएगा।

भाग–नौ–अन्य उपबन्ध

1. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों से इतर किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिश का कोई प्रयास उसे चयन/नियुक्ति के लिए अयोग्य कर देगा।

2. ऐसे विषय, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत आवरित न होते हो, वे, सेवारत सरकारी सेवकों पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा सामान्यतः समय–समय पर लागू नियमों/विनियमों एवं आदेशों द्वारा नियन्त्रित होगें।

कमशः..................5/—

भाग–दस–शिथिलीकरण

1. यदि यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित कठिनाई हो रही है तथा न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही आवश्यक हो जाए तो उस मामलें में, लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपारेशन को ऐसे नियमों को शिथिल करने का विशेषाधिकार होगा।
2. उक्त विनियमावली के प्रख्यापित होने की तिथि से पूर्व में की गयी प्रोन्नतियॉ किसी भी दशा में प्रभावित नहीं होगीं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
अध्यक्ष

संख्या : 08–(1)–विनियम एवं काविनी/पाकालि/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/केस्को, कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्रांक–10/पाकालि/बैठक 103(30)/2014 दिनांक 10–01–2014 के सन्दर्भ में।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट)।

(जावेद अहमद) 16.1.14
संयुक्त सचिव